जन सुनवाई विवरण

मैसर्स शिव झिरका स्टोन द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 11/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,16,435 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव ऑकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A.II (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रवधानों के अन्तर्गत मैसर्स शिव झिरका स्टोन द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 11/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,16,435 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में श्री रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, (जिला कलक्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2023 को अपरान्ह 02:30 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र गोरा, तहसील-- पहाडी, जिला -- भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट-- 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को साध्य ज्योति दर्पण तथा दिनांक 20.01.2023 को राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भरतपुर द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स शिव झिरका स्टोन द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 11/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,16,435 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जन मानस की सोच एवं सुझाव

उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई की पर्यावरणीय परामर्शदाता श्रीमती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया की पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खनन इंटरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री उस्मान निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर है जिसका कारण बेरोजगारी है। इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए एवं उन्हें परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री फजरू निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि गॉव में जो कच्चे रास्ते हैं उनमें बरसात के समय में पानी भर जाता है जिससे बच्चों एवं बुजुर्गों को निकलने में परेशानी होती है उनको पक्का कराया जाये तथा खनन परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

श्री वहीद निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि गॉव के विद्यालय में कमरों, पीने के पानी, शौचालय एवं फर्नीचर आदि का अभाव है तथा उनके द्वारा जानना चाहा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु क्या योजनायें हैं। एवं प्रस्तावक से आग्रह किया कि गॉव के जो कच्चे रास्ते हैं उनको सही कराया जाये एवं ग्राम व ग्राम पंचायत में विकास कार्य किये जायें।

इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि सी.एस.आर. योजना के तहत गॉव के राजकीय विद्यालय में पढने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं ठण्डा पानी पीने हेतु आर.ओ. प्लांट एवं वाटर कूलर लगवाया जावेगा। विद्यालय में कार्यरत स्टाफ एवं विद्यार्थियों हेतु कुर्सी, टेवल, आलमारी, पंखा आदि की समुचित व्यवस्था करवायी जावेगी। विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण करवाया जायेगा। खनन पट्टाधारी श्री अमित खुराना द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों के लिये पेयजल की व्यवस्था करना, पक्की सडकों का निर्माण कराना, स्थानीय विद्यालय में कूलर, पंखे, मेज, कुर्सी आदि लगाये जाने सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा। तत्पश्चात् श्री वहीद ने कहा कि उक्त परियोजना को प्रारम्भ करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानकारी चाही गयी कि क्या प्रस्तावित खदान परियोजना में स्टोन क्रशिंग का कार्य किया जाएगा और यदि स्टोन क्रशिंग का कार्य किया जाता है तो क्रशिंग गतिविधि में प्रदूषण रोकथाम हेतु क्या व्यवस्थाए

की जाऐंगी एवं वृक्षारोपण प्रत्येक परियोजना प्रस्तावकों द्वारा एक साथ कराया जा[illegible] अलग-अलग किया जावेगा।

इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया किया गया कि क्रशिंग [illegible] नियमानुसार ही की जायेगी तथा सभी आवश्यक प्रदूषण रोकथाम उपायों जैसे धूल दमन [illegible] का छिड़काव, मशीनों को ढकने एवं फब्बारे लगाने के साथ पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण [illegible] परियोजना प्रस्तावक द्वारा अलग-अलग कराया जाना आदि की व्यवस्था सुनिश्[illegible] जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त [illegible] कलक्टर, भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति [illegible] परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

तदुपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर [illegible] समीक्षात्मक उद्‌बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त [illegible] कि उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये है। आपके विचार व सुझाव/आप[illegible] सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेंगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरा[illegible] प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई मे उपस्[illegible] व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्[illegible] घोषणा की गई।

(विवेक गोयल)	(रतन कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी	अति. जिला कलेक्टर
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर	भरतपुर, (राज.)

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैसर्स शिव झिरका स्टोन, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर (खनन प[illegible] 11/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की [illegible] उत्पादन क्षमता 2,16,435 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.[illegible] क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये [illegible] स्वीकृति बाबत् जन सुनवाई दिनांक **22.02.2023** को **02:30 PM** से **03:15 PM** तक, राजीव गांधी [illegible] केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	Ratan Kumar	ADM भरतपुर		[illegible]
2	Vivek Goel	RO, RSPCB, Bharatpur	9530345500	[illegible]
3	R.N. Mangal	ME, Bharatpur	98288 ~~77860~~	[illegible]
4	Sanjeev Singhal	Ad. A.O.	9413014189	[illegible]
	Kaynat Azam	CRIPL Udaipur	8003182518	[illegible]
6	Narendra Singh	JEE, RSPCB, Bharatpur	9315665199	[illegible]
7	रजाक	गाँव गंगोरा, पहाड़ी	9982621802	[illegible]
8	रईसत	गंगोरा	—	रईसत
9	अलीजान	गाँव गंगोरा पहाड़ी		अलीजान
10	वहीद	गाँव गंगोरा पहाड़ी	7568266872	वहीद
11	मुस्ताक	गाँव-गंगोरा पहाड़ी	9982413535	मुस्ताक
12	खुरशीद	गाव गंगोरा पहाडी	9772211393 / 9887100319	खुरशीद
13	साजिद खान	चिनावड़ा	9578624000	साजिद
14	मंगल सिंह	गंगोरा, पहाडी	9001523667	[illegible]
15	इरशाद	गंगोरा पहाडी	—	[illegible]
16	इसराइल	गंगोरा पहाडी	9982519540	[illegible]
17	नोमान खान	सरपंच गंगोरा	8824510034	[illegible]
18	Gaurav Goyal	Pahari	9953272844	[illegible]
19	सद्दाम चन्द	चिराड़ी पुर्व सरपंच	9350158558	[illegible]
20	RANJEET SINGH	RAMGARH	7240193454	[illegible]

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मेसर्स शिव झिरका स्टोन, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 11/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,16,435 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत् जन सुनवाई **दिनांक 22.02.2023 को 02:30 PM से 03:15 PM तक, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर** का उपस्थिति विवरण :-

21	उस्मान	गंगोरा पहाड़ी		
22	[illegible]	[illegible]	9818428833	[illegible]
23	नरेश [illegible]	[illegible]	9582729225	[illegible]
24	[illegible]	छपरा	9660798641	[illegible]
25	Irshad	chhappa	9680248884	Irshad
26	साहिद	छपरा	7850878055	साहिद
27	नाजिर	छपरा	9024584441	नाजिर
28	इरशाद	छपरा	9660125780	इरशाद
29	[illegible]	Chhapra	9350186107	[illegible]
30	असमद	छपरा	7340100609	असमद
31	सद्दीक	छपरा	9636802804	[illegible]
32	Sohil	chhaPRA	9350206548	[illegible]
33	साजिद	छपरा	9571713689	साजिद
34	वकील	छपरा	9878205821	वकील
35	फजरू	गंगोरा	—	फजरू
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				